तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अपीलार्थी

बनाम

के. ज्योतिस्वरा पिल्लई (डी) एल.आर. द्वारा एवं अन्य प्रत्यर्थी

पीठः न्यायाधिपति जी.पी. माथुर और ए.के. माथुर

सेवा कानून-सेवा समाप्त-इस आधार पर कि कर्मचारी अधिक आयु होने के कारण नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। नियुक्ति पूर्व कर्मचारियों को वरीयता देने वाले परिपत्र के आधार पर की गई थी।उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सेवा की बहाली का आदेश इस आधार पर किया गया कि आयु मानदण्ड में छूट न देकर नियोक्ता द्वारा पक्षपात किया गया क्योंकि पिछले अवसरों पर ऐसी छूट दी गई थी- अपील पर अभिनिर्धारित किया गया- योग्यता मानदण्ड में छूट प्रदान करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान या नियम नहीं है- कर्मचारियों को उचित रूप से बर्खास्त किया गया- तिरूमाला तिरूपति व्यवस्थान कर्मचारी सेवा नियम 1989 नियम 11. अपीलार्थी-नियोक्ता द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया था कि किसी भी रिक्तता के मामले में, पूर्व कर्मचारियों को वरिष्ठता के क्रम में नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी-कर्मचारियों को पूर्व कर्मचारी(नाम मात्र मस्टर रोल कर्मचारी) होने के नाते परिपत्र के आधार पर परिवेदक के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्यापन के बाद, उत्तरदाताओं को अधिक

उम्र का पाया गया, जिस कारण उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। बर्खास्तगी को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के निर्देश पर, प्रत्यर्थियों को सुनवाई का अवसर दिया गया और उसके बाद फिर से सेवा समाप्ति आदेश पारित किया गया। इसको भी चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त कर दिया और पिछले पूर्ण वेतन सहित उनकी सेवा की बहाली का आदेश इस आधार पर दिया कि इससे पहले दो अवसरों पर नियोक्ता ने आयु और योग्यता से छूट दी थी और नियोक्ता द्वारा यह नहीं बताया गया था कि वर्तमान मामले में उक्त विवेकाधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील को संक्षेप में खारिज कर दिया था।

इसलिए वर्तमान अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1.1 . तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कर्मचारी सेवा नियम, 1989 में सीधी भर्ती के लिए योग्यता और आयु के संबंध में पूर्ण प्रावधान किए गए हैं और उन व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं जिन्हें छूट दी जा सकती है जो कि सरकारी आदेशों के अनुसार होगी। उक्त नियमों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि सीधी भर्ती करते समय एन. एम. आर. कर्मचारियों के रूप में प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए या इसके आधार पर आयु में कुछ छूट दी

जानी चाहिए। उत्तरदाताओं ने प्रत्यर्थियों ने एन. एम. आर. कर्मचारियों के रूप में कुछ समय के लिए काम किया तथा छह साल से भी अधिक अंतराल के बाद उन्हें अधिक आयु का मानते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था। (पैरा 5 जी.एच 6ए)

1.2 . रिट याचिका को अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण विधि में पूरी तरह से असमर्थनीय है। केवल इसलिए कि पहले दो अवसरों पर अपीलार्थी ने कुछ कर्मचारियों के संबंध में पात्रता मानदंड से छूट दी गई थी, यह रिट याचिकाकर्ताओं को राहत देने का आधार नहीं हो सकता है। भले ही पूर्व में कुछ कर्मचारियों को कुछ छूट दी गई हो यह भविष्य में रोजगार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकार स्वरूप में पात्रता मानदंड से छूट का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। [पैरा 7] [6-डी-ई]

के. वी. राजलक्ष्मीया सेट्टी और एक अन्य बनाम मैसूर और अन्य राज्य, ए.आई.आर (1967) एससी 993, पर निर्भर किया।

1.3 . एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि आयु मानदण्ड में छूट न देकर अपीलार्थी ने द्वेषजनक पक्षपात किया था, विधि में स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है। [पैरा 7] {7-ए]

2. योग्यता मानदण्ड में छूट के संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान या नियम नहीं है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के

विरूद्घ प्रत्यर्थियों के मामले में नई नियुक्ति के लिए आयु संबंधित नियम में छूट देने हेतु विचार करने बाबत् परमादेश रिट जारी कर स्पष्टतः त्रुटि की है। { पैरा 8] [7-एफ]

बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 2149 पर निर्भर किया।

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं. 7962/2004

आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.01.2003 से डब्ल्यू.ए. सं.422/1998

अपीलार्थी की ओर से के. अमरेश्वरी, बी. श्रीधर और के. राम कुमार।

प्रत्यर्थियों की ओर से टी. अनामिका और टी. एन. राव।

निर्णय- न्यायाधिपति जी.पी. माथुर।

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांकित 21.1.2003 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 20.11.1997 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को कुछ निर्देशों के साथ अनुमति दी गई थी।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तथ्य इस प्रकार थे कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अपीलार्थी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के साथ कुछ अवधियों के लिए नाममात्र मस्टर रोल्स (संक्षिप्त में 'एन. एम. आर.') कर्मचारी के रूप में काम किया। अपीलार्थी द्वारा 25.7.1990 पर एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि किसी भी भर्ती के मामले में, पूर्व कर्मचारियों को वरिष्ठता के क्रम में नियुक्त किया जाना चाहिए। पाँच रिट याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त परिपत्र के आधार पर पूर्व कर्मचारी होने के नाते 17.8.1992 पर अपीलार्थी द्वारा अस्थायी रूप से परिवेदक के रूप में नियुक्त किया गया था। अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यह पाया गया कि सभी पांच रिट याचिकाकर्ता अधिक उम्र के थे और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे और तदनुसार दिनांक 16.4.1993 पर उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। इस आदेश को कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका संख्या 5176/1993 दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे केवल इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि रिट याचिकाकर्ताओं के विरूद्घ बिना कोई नोटिस जारी किए और सुनवाई का अवसर दिए बिना कार्रवाई की गई थी। बर्खास्तगी का आदेश दिनांक 16.4.1993 को अपास्त कर दिया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी संबंधित कर्मचारियों को नोटिस देने के बाद नए सिरे से कार्रवाई करेगा। अपीलार्थी ने तब संबंधित कर्मचारियों को दिनांक 26.10.1993 पर नोटिस जारी किए और उनके जवाब पर विचार करने के

बाद, दिनांक 30.12.1993 पर इस आधार पर उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित किया कि वे उम्र में अधिक थे और इसलिए नियुक्ति के लिए अयोग्य थे। इसके बाद कर्मचारियों ने रिट याचिका संख्या 3885/1994 दायर की, जिसमें दिनांक 30.12.1993 के बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया तथा सेवा की समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलार्थी को कर्मचारियों (प्रत्यर्थियों) को सेवा की निरंतरता पिछले पूर्ण वेतन के साथ उनकी सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष का मुख्य आधार यह था कि रिट याचिकाकर्ताओं को दिनांक 17.8.1992 पर सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि उन्होंने पहले कुछ समय के लिए एन. एम. आर. पर काम किया था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच अनुचित पक्षपात किया था क्योंकि दिनांक 06.04.1993 की कार्यवाही द्वारा 51 व्यक्तियों को आयु और शैक्षणिक योग्यता से छूट दी गई थी और दिनांक 04.05.1990 में पांच व्यक्तियों को छूट दी गई थी। उक्त तथ्यों का उल्लेख करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"न्यायालय के समक्ष यह दर्शित के लिए कुछ भी प्रस्तुत किया गया न्यासी मंडल द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग याचिकाकर्ताओ के मामले

में क्यों नहीं किया जा सका। वास्तव में, न्यायालय के समक्ष बोर्ड द्वारा छूट की शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने वाला विनिश्चय अवलोकन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां केवल विवादित आदेश के संबंध में संदर्भ मात्र है।

"परिणामतः रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थियों को परमादेश रिट जारी की जाती है कि वह याचिकाकर्ता 1 से 4 की सेवा को पूर्व पूर्ण वेतन के साथ बहाल करे और इसके अतिरिक्त आदेश की प्रति मिलने की तारीख से एक माह के भीतर यह विचार करे कि क्या याचिकाकर्ता संख्या 5 G.O. Ms. No. 1060, राजस्व विभाग में सामान्य नियमों के नियम (I) के तहत, आयु संबंधित योग्यता में छूट पाने का हकदार है। नो कोस्ट।"

अपीलार्थी द्वारा दायर रिट अपील को उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा संक्षेप्तः खारित कर दिया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत दिया कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कर्मचारी सेवा नियम, 1989 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित होती हैं और नियम 11 के तहत कोई भी व्यक्ति, जिसने 28 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है और इन परिस्थितियों में

प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थियों (रिट याचिकाकर्ताओं) के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश स्पष्टतः अवैध था तथा इसे सही अपास्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने भी यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थियों के पक्ष में योग्यता मानदण्ड से छूट देने के निर्देश देकर स्पष्टतः त्रुटि की है।

4. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया है तथा तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से सही है।

5. नियमों के नियम 1,2,3 और 11 निम्नानुसार हैंः -

"1. इन नियमों को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कर्मचारी सेवा नियम, 1989 कहा जा सकता है।

2. ये नियम अनुबंध पर नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों और सरकार या अन्य संस्थाओ से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे।

3. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न होः

(i) अधिनियम 'का अर्थ है आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987।

(ii) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और वाक्यांश का वही अर्थ लिया जाएगा जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या नियम 4 के तहत निर्दिष्ट नियमों में दिया गया है।

11. आयु: - कोई भी व्यक्ति तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम अनुलग्नक ।। की सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने 28 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या उस वर्ष की 1 जुलाई को उक्त अनुलग्नक में निर्धारित आयु पूरी कर ली है जिसमें भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

परंतु सरकार द्वारा समय-समय पर आयु में सामान्य छूट और अनुसूचित जाति व जनजाति और पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए छूट के संबंध में जारी आदेश लागू होंगे।

नियम 4 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में बनाए गए नियमों की एक लंबी सूची देता है, जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों पर लागू किए गए हैं, जिसमें उसके तहत जारी किए गए मूलभूत नियम और सहायक नियम, आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1963 आदि शामिल हैं। नियमों के नियम 11 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति तिरुमाला तिरुपति

देवस्थानम अनुलग्नक-II की सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसने 28 वर्ष की आयु पूरी कर ली या उस वर्ष की 1 जुलाई को उक्त अनुलग्नक में निर्धारित आयु पूरी कर ली है जिसमें भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और अनुसूचित जाति, जनजाति और आरक्षित वर्ग जैसी आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में आयु में सामान्य छूट का भी प्रावधान है। इस प्रकार नियम सीधी भर्ती के लिए योग्यता और आयु के संबंध में पूर्ण प्रावधान करते हैं और उन व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में भी पूर्ण प्रावधान करते हैं जिनमें सरकार के आदेशानुसार छूट दी जा सकती है। नियमों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि सीधी भर्ती करते समय एन. एम. आर. कर्मचारी के रूप में प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए या इस आधार पर आयु में कुछ छूट दी जानी चाहिए। रिट याचिकाकर्ताओ ने बहुत कम समय 1984-86 के लिए एन.एम.आर. कर्मचारियों के रूप में काम किया था तथा इसके छह वर्ष से अधिक अंतराल के बाद दिनांक 17.08.1992 को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुए थे। नियमों में वे स्पष्टतः किसी भी भर्ती के लिए अयोग्य थे क्योंकि उनकी आयु अधिक थी।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्य रूप से इस आधार पर रिट याचिका को अनुमति दी कि इससे पहले दो अवसरों पर अपीलार्थी ने आयु

व योग्यताओ से छूट दी थी और उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि अपीलार्थी द्वारा संबंधित कर्मचारियों, अर्थात् रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सका। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को इस बात पर विचार करने के लिए परमादेश रिट भी जारी किया है कि क्या रिट याचिकाकर्ता संख्या 5 राज्य सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा जारी कुछ जी. ओ. को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा से छूट का हकदार था।

7. हमारी राय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को अनुमति देने के लिए दिए गए कारण पूरी तरह से असमर्थनीय है। सिर्फ इसलिए कि पहले कुछ अवसरों पर अपीलार्थी ने कुछ कर्मचारियों के संबंध में पात्रता मानदंड से छूट दी थी रिट याचिकाकर्ताओं को राहत देने का आधार नहीं हो सकता है। भले ही पूर्व में कुछ कर्मचारियों को कुछ छूट दी गई हो लेकिन यह भविष्य में रोजगार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकार स्वरूप में पात्रता मानदंड से छूट का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। के. वी. राजलक्ष्मीया सेट्टी और अन्य बनाम मैसूर और अन्य राज्य। ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 993 [1]के पैराग्राफ 12 के तहत अभिनिर्धारित किया गया थाः-

1के. वी. राजलक्ष्मीया सेट्टी और अन्य बनाम मैसूर और अन्य राज्य। ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 993

"मैसूर राज्य की ओर से प्रस्तुत विवादों में कुछ बल है। उनका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम अपीलार्थियों के तर्क को बनाए रखने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले 41 व्यक्तियों के बैच को कुछ छूट दी गई थी इसके बाद 73 व्यक्तियों के बैच को भी छूट प्रदान की गई थी लेकिन इन सब के बाद भी किसी छूट का अधिकार स्वरूप दावा नहीं किया जा सकता। मैसूर राज्य ने 63 व्यक्तियों के बैच के प्रति कुछ उदारता दिखाई है। लेकिन हम ऐसा करने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकते और ना ही राज्य सरकार ने ऐसा कोई नियम विकसित किया है। विभिन्न बैचों के व्यक्तियों के दी गई छूट वास्तव में तदर्थ है और हम यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारे समक्ष उपस्थित अपीलार्थियों को भी ऐसी छूट दी जाए।"

इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि आयु मानदंड से छूट देते हुए अपीलार्थी ने पक्षपातपूर्ण कार्य किए थे स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने परमादेश रिट जारी कर ये निर्देश भी दिया है कि रिट याचिकाकर्ता संख्या 5 के मामले पर अपीलार्थी विचार करे की क्या वह आयु योग्यता से छूट का हकदार था। जैसा कि पहले भी

कहा जा चुका है कि नियम 11 के दूसरे पैरा में दी गई सीमा के अतिरिक्त छूट देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। वे सिद्घांत जिन पर परमादेश रिट जारी की जाती है सुस्थापित है। बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 2149[2], में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"मैंडमस की एक रिट केवल उस मामले में दी जा सकती है जहां एक संबंधित अधिकारी पर वैधानिक कर्तव्य अधिरोपित है और उस अधिकारी की ओर से वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता की गई है।"

रिट का मुख्य कार्य विधि में विहित सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य करना है तथा इसलिए है कि अधीनस्थ अधिकरण और अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में सीमाओं के भीतर सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करें। इसलिए परमादेश रिट जारी की जाती ताकि प्राधिकारियों को कुछ करने के लिए बाध्य किया जा सके। इसके लिए यह दर्शित करना आवश्यक है कि किसी अधिकारी पर एक विधिक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है जिसकी उसको पालना करनी है तथा पीड़ित पक्षकार को विधि के तहत उस कर्तव्य का पालन करवाने का अधिकार प्राप्त है।

2बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा सहकारी समिति लिमिटेड बनाम सिपाही सिंह ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 2149,

पात्रता मानदंड से छूट प्रदान करने का कोई भी विधिक प्रावधान नहीं है इसलिए विद्वत एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरूद्घ परमादेश रिट जारी करने में स्पष्टतः त्रुटि की है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता संख्या 5 के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया, ताकि उसे नई नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा प्रदान करने वाले नियम से छूट दी जा सके।

9. उपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखे जा सकते तथा अपास्त किए जाने योग्य है। इसके अनुसार अपील अनज्ञात की जाती है। एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20.11.1997 को पारित निर्णय व आदेश तथा खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 21.01.2003 को पारित निर्णय व आदेश अपास्त किए जाते हैं तथा प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

10. खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हुक्मीचंद गहनोलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।